e-mail : dfo_kalsi@rediffmail.com

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक– 1658 /12–1, कालसी, दिनांक 04-01– 2023.

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक (तक0),
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई,
बसन्त विहार, देहरादून।

विषय : **जनपद–उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून) के कि0मी0 104.000 से कि0मी0 149.000 तक के चारलेन एवं चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 24.1884 हे0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/ROAD/121027/2021**

सन्दर्भ : आपका पत्रांक–2102, दिनांक 11.04.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सड़क निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/06/128/2021/एफ0सी0/18, दिनांक 06.04.2022 से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसमें सम्बन्धित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक–1554/12–1, दिनांक 21.12.2022 से विधिवत् स्वीकृति हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–941/X-4-18/05(6)/2014, दिनांक 26.09.2018 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों का अनुपालन कर नोडल अधिकारी को प्रेषित किये जाने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किए जाने की अनुमति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ दी जा रही है–

1. विषयांकित योजना के निर्माण से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण की पत्रावली में उल्लिखित/स्वीकृत RoW के अधीन की कार्य किया जाना होगा। किसी भी दशा में स्वीकृत सीमा के बाहर कार्य नहीं किया जायेगा।
2. वन भूमि की विधिक स्थिति नहीं बदली जायेगी।
3. सड़क निर्माण कार्य करने से पहले प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करना होगा, जिन पर Forward एवं back Bearing अंकित किया जायेगा।
4. उक्त निर्माण कार्य के दौरान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम–1972 (यथा संशोधित–2006) तथा भारतीय वन संरक्षण अनिनियम–1980 (यथा संशोधित–2001) एवं भारतीय वन अधिनियम–1927 तथा माननीय न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्णयों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
5. निर्माण करते समय किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। यदि संस्था के ठेकेदार/कार्यदायी संस्था द्वारा गलती/लापरवाही से किसी वृक्ष एवं वनस्पतियों/वन सम्पादा को क्षति पहुँचाई जायेगी, तो उसका दायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

6. उक्त निर्माण कार्य हेतु वन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/वाहनों/ठेकेदारों तथा मजदूरों की सूची कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत करवानी होगी।
7. प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त वन क्षेत्र में किसी प्रकार के नये कार्य की अनुमति नहीं होगी तथा कार्य सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी/उनके द्वारा नामित कर्मचारी की निगरानी में सम्पादित किये जायेंगे।
8. निर्माण के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसाई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
9. कार्य पर लगे श्रमिक आरक्षित वन में कोई स्थाई, अस्थाई झोपड़ी अथवा अन्य कोई निर्माण नहीं करेंगे एवं न ही भोजन बनाने अथवा अन्य किसी प्रयोजन हेतु जलौनी आदि वन क्षेत्र से प्राप्त नहीं करेगें।
10. कार्य पर लगे श्रमिक वन क्षेत्र में अथवा उसके आस–पास किसी प्रकार का मलबा, प्लास्टिक, कचरा आदि छोडा नहीं जायेगा।
11. कार्य पर लगे श्रमिक किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, फन्दा, विस्फोटक, आरा, कुल्हाडी अथवा अन्य ऐसी कोई सामग्री अथवा उपकरण अपने साथ नही रखेंगे, जिसका किसी वन अपराध में उपयोग सम्भावित हो।
12. निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों का अनुपालन कार्यदायी संस्था को सुनिश्चित करना होगा।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

पत्रांक– / , तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्कार्य कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0सैल, देहरादून को उक्त कार्यादेश सूचना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. उप–प्रभागीय वनाधिकारी, सहसपुर।
5. वन क्षेत्राधिकारी, तिमली रेंज।

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।